राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	283/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामकुमार / ममता	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/8/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया श्रीमती ममता जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में रेस्पो. संख्या 1 है, के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि में अपना 1/7 हिस्सा दर्ज करवाने की घोषणा हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीया द्वारा चाहे गये 1/7 हिस्से को संरक्षित रखने का बिन्दु प्रथमद्रष्टया प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर विधिअनुरूप तय किया जाना था किन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित सम्पूर्ण प्रशनगत आराजीयात के सन्दर्भ में आदेश जैर अपील के माध्यम से विपक्षीगण को प्रतिबन्धित फरमा दिया गया, जो न्यायसंगत प्रतीत नही होता है एवं चूँकि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारो को सुनवाई का अवसर मौजूद है। अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण शीघ्रता से करे। तब तक न्यायहित में विवादग्रस्त भूमि ख.न. 400, 401,91,402 में प्रार्थीया श्रीमति ममता द्वारा चाहे गये 1/7 हिस्से की हद तक आदेश जैर अपील दिनांक 21/07/2020 यथावत रखा जाकर विवादग्रस्त भूमि के शेष रकबे तक आदेश जैर अपील दिनांक 21/07/2020 की क्रियान्विति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित किये जाने तक स्थगित रखी जाती है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04/09/2020 को इस आदेश की प्रति सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर